बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–3/अ०प्र०–1–09/2017 1516 /पटना, दिनांक :– 25-10-21

श्री अर्जुन प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा के विरूद्ध भोजपुर जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन TO5 से सेमरा पथ का 330 मीटर कार्य स्वीकृत रेखांकन से हटकर बॉध पर कराये जाने एवं इस विचलन के कारण 30 मी0 का दोहरा भुगतान होने के आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर संकल्प ज्ञापांक 2535 अनु0 दिनांक 21.08.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री रत्नेश सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 24 अनु0 दिनांक 08.08.2018 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत पथ के स्वीकृत प्राक्कलन का एस0टी0ए0 द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार पथ का निर्माण स्वीकृत रेखांकन के अनुसार ही कराया गया है तथा इसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं है। इस आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी, जिसके अनुसार डी0पी0आर0 में किये गये प्रावधान में कुल पथ की दुरी 997मी0 है। पथ का कार्य दो भागों में सम्पन्न किया गया है। एक भाग 697मी0 सेमरा गाँव के अन्तर्गत किया गया है तथा बांकी बचे हुए भाग (300मी0) को बॉध पर सम्पन्न किया गया है, जो कोर नेटवर्क का अंश है। ग्रामीण भाग में सम्पन्न किये गये कार्य के लिए मूल प्रावधान 150मी0 सी0सी0पी0 की जगह 180मी0 का निर्माण किया गया तथा बी0टी0 कार्य का प्रावधान, 847मी0 में था, के विरूद्ध 817 मी0 में ही कार्य सम्पन्न किया गया। इस प्रकार कुल 997मी0 लम्बाई में ही कार्य सम्पादित हुआ है एवं 30मी0 का अधिकाई/दोहरा भुगतान नहीं हुआ है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अर्जुन प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री अर्जुन प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20.10.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–09/2017 1517 /पटना, दिनांक :– 25-10-21

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

20.10.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–09/2017 1517 /पटना, दिनांक :– 25-10-21

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–09/2017 1517 /पटना, दिनांक :– 25-10-21

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा/वीरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री अर्जुन प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–09/2017 1517 /पटना, दिनांक :– 25-10-21

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

20.10.21

उप सचिव